Legal Express: An International Journal of Law **ISSN 2394-465X**
Vol. VII, Issue-II June 2021

इस्लाम पूर्व का इतिहास एवं इस्लामिक (मुस्लिम) विधि का उद्गम एवं उद्भव

डॉ. सुहेल अजीम कुरैशी*

सारांश

पैगम्बर साहब ने कभी भी यह व्यक्त नहीं किया कि वह नये धर्म की स्थापना कर रहे हैं। वह सुधारवादी थे। उन्होंने यह भी व्यक्त किया है कि प्रारंभिक आदिकाल से अल्लाह की सत्ता कायम है। यही मान्यता पूर्व इस्लामिक अरब समाज में भी मान्य थी। यदि पूर्व इस्लामिक अरब समाज को देखे तो उनके अपने कायदे कानून, नियम प्रचलित थे। जिनमें कई प्रकार की कुरीतियाँ भी प्रचलित थी। पैगम्बर साहब के पूर्व अरब समाज में पैगम्बर साहब ने उनमें सुधार व युक्तिपूर्ण तरीके से सुधार किया था। जो कि समय के अनुसार शनैः शनैः लोग स्वीकार करते चले गये। कुरान के मुकम्मल रूप में आने के पश्चात् कुरान के रूप में मुस्लिम विधि का उद्गम एवं उद्भव हुआ। जिसमें मुस्लिम विधि के अन्य मान्यता प्राप्त स्त्रोतों का अपनी-अपनी जगह महत्वपूर्ण योगदान है। जिससे मुस्लिम विधि का विकास होता रहा।

बीज शब्द: इतिहास, इस्लाम, विधि

परिचय

पैगम्बर साहब ने कभी भी यह व्यक्त नहीं किया वह इस्लाम नामक मुस्लिम धर्म की स्थापना कर रहे हैं। वह तो रसूल अर्थात् दूत (समाज सुधारक के रूप में) अवतरित हुए। पैगम्बर साहब से पूर्व अरब समाज में कई कुरीतियाँ व्याप्त थीं। कबीलों के रूप में अस्थायी निवासरत होने के कारण सभी के अलग-अलग नियमों को कानून के रूप में मान्यता प्रदान की गई थी। जिनमें प्रमुख रूप से स्त्रियों को कमतर आंका गया था। उन नियमों की आड़ में उनका शोषण होकर कम/सीमित अधिकार प्रदान किये गये थे। दण्ड की व्यवस्था अत्यन्त कठोर थी। सम्पत्ति के अधिकार सीमित हुआ करते थे। इन्हीं सबको दृष्टिगत रखते हुए समय-समय पर उनमें सुधार किया गया। जिसको पैगम्बर साहब के काल में अरब समाज के रूप में जाना जाता है। पैगम्बर साहब ने सुधारात्मक नियमों को धर्म से जोड़कर कानून का रूप प्रदान किया वहीं से वर्तमान मुस्लिम विधि का उद्भव हुआ है।

इस्लाम में आदिकाल या प्रारंभ से ही अल्लाह की सत्ता व अस्तित्व को स्वीकार किया गया है। पैगम्बर साहब ने भी कभी नहीं कहा कि वह नये धर्म की स्थापना कर रहे हैं वे सुधारवादी थे उन्होंने सुधारों को महत्व प्रदान किया।

इस्लाम पूर्व का अरब समाज काल

जब इस्लाम पूर्व के इतिहास की बात करते हैं तो पूर्व अरब इस्लामिक समाज की धर्म व अन्य सामाजिक व्यवस्थाओं की बात पहले आती है और वही इस्लाम का पूर्व इस्लामिक अरब समाज का इतिहास है जिसके अंतर्गत पूर्व अरब समाज में वर्तमान इस्लाम के उद्गम से पूर्व अरब समाज जाति उपजाति तथा कबीलों के रूप में अस्तित्व में था। जिनमें परस्पर सामंजस्य का अभाव था। समस्तों में कई विरोधाभास थे अरब में रेगिस्तानी जलवायु संस्कृति होने के कारण यहाँ के लोग बद्दू घुमक्कड कहलाते थे। जहाँ जाते थे वह कबीला अपना केंप बनाकर अस्थायी निवास करने लग जाते थे। अरब बहुसंख्यक रूप में मूर्ति पूजक थे। किन्तु आदिकाल समाज की मूलभाषा अरबी हुआ करती थी पूर्व अरब समाज में हमेशा एक स्थापित सत्ता की आवश्यकता महसूस की जाती थी जो कि मक्का में स्थित थी। यहाँ के लोक अधिकारी 12 भागों में बंटे थे। प्रत्येक का अपना एक सरदार

* सदस्य विधि अध्ययन मण्डल, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

होता था अर्थात् सरकार होने के बाद भी सुस्थापित सुशासन देने वाली सरकार का अभाव था। पूर्व इस्लामिक समाज में रूढ़ि एवं प्रथायें प्रचलित थी।

पैगम्बर मोहम्मद साहब सुधारवादी थे उन्होंने कभी नहीं कहा कि वह एक नये धर्म की स्थापना कर रहे हैं।

पूर्व इस्लाम समाज में प्रचलित रूढि प्रथायें

1. **अपराधों के लिये दंड-** जिसमें कठोर दंड के द्वारा खून का बदला खून।
2. **शपथ का नियम-** विवादों का निपटारा हेतु शपथ के नियम का प्रचलन।
3. **मध्यस्थता-** विवादों को निपटाने हेतु प्रतिष्ठित व्यक्ति मध्यस्थता करवाकर निर्णय देता था जिसका निर्णय अंतिम व दोनों पक्षों को मान्य होता था।
4. **बहुपत्नी प्रथा-** बहुपत्नी प्रथा का पुरजोर प्रचलन (किसी भी रूप में)।
5. **मैहर-** विवाह को नियमित स्वरूप प्राप्त करने की धारणा को अंजाम देने हेतु मैहर की व्यवस्था।
6. **शारीरिक समागम-** बच्चों की उत्पत्ति व प्राप्ति हेतु शारीरिक संबंधों का प्रचलन।
7. **बलात विवाह-** स्त्री की इच्छा के विरूद्ध उसके सगे सम्बन्धी जबरदस्ती या बलात विवाह करवा दिया करते थे।
8. **तलाक-** यह आम बात थी जो कि पुरूष समाज की इच्छा पर आधारित था। वह जब चाहे तब मैहर की अदायगी कर तलाक देना आम बात थी। इद्धत की अवधि के प्रचलन का अभाव था। नियमित विवाह के अन्तर्गत उत्पन्न संतानें वैध मानी जाती थी। नियमित विवाह के विपरीत या सम्बन्धों से उत्पन्न संतानों को भी वैधता प्रदान थी भले ही बच्चे का पिता कोई भी हो।
9. **उत्तराधिकार-** इस अधिकार से स्त्रियों व अवयस्कों को वंचित रखा जाकर या केवल पुरूषों को अधिकार प्राप्त थे।
10. **वसीयत-** अरब समाज में वसीयत करने का अधिकार सुरक्षित था। वह अपनी सम्पत्ति किसी को भी वसीयत या दान द्वारा दे सकता था। अरब समाज में सम्पत्ति को पट्टे पर दिये जाने की प्रथा थी जिसके लिये निर्दिष्ट मुद्रा का चलन था। सम्पत्ति का विक्रय एक्सचेंज करने में होता था।
11. पूर्व अरब समाज में पत्नी या महिला संभोग हेतु आमंत्रण देती थी वैश्यावृति कई रूप में प्रचलन था। मुता विवाह या अस्थायी विवाह कई रूप में प्रचलन था।

पैगम्बर साहब का काल एवं इस्लाम का उद्गम

इस्लाम के अनुसार सर्वोच्च शक्ति अल्लाह में निहित रहती है। पैगम्बर साहब का जन्म 570 ई. में हुआ था (सर अब्दुल रहीम के अनुसार) पैगम्बर साहब ने यह कभी भी नहीं कहा कि वह नये धर्म की स्थापना कर रहे हैं। वह (पैगम्बर साहब) समाज सुधारक होकर रसूल अर्थात् अल्लाह के दूत में स्थापित हुए।

पैगम्बर साहब के माता-पिता का बचपन में ही स्वर्गवास हो जाने के कारण उनका पालन पोषण उनके दादा तथा उनकी मृत्यु के बाद उनके चाचा ने किया था। वह बचपन से ही गंभीर प्रवृति के थे। पच्चीस वर्ष की आयु में हिरा नामक गुफा में चिंतन हेतु प्रस्थान कर गये थे। चिंतन व मनन के पश्चात् सन् 609 में अल्लाह का प्रथम दैवीय संदेश प्राप्त हुआ। मुहम्मद साहब को समय-समय पर अल्लाह के दैवीय संदेश (वही) प्राप्त होने लगे। उन सभी दैवीय संदेशों का संकलन ''कुरान'' (अलकुरान) कहलाया।

पैगम्बर साहब के मुख्य धार्मिक उपदेशों में प्रमुख रूप से

1. अल्लाह एक है और पैगम्बर साहब उनके संदेश वाहक रसूल हैं। संसार में जो भी कुछ है वह सब अल्लाह की देन है उनकी मर्जी के बिना कुछ भी नहीं होता।

2. समस्त मनुष्य स्त्री पुरूष एक समान हैं। उनमें कोई विभेद नहीं है कोई भी किसी से छोटा बड़ा नहीं है। सभी के समान हक हैं। उन्होंने अपने धार्मिक उपदेशों के माध्यम से अरब समाज में फैली कुरीतियों व बुराईयों को दूर करने हेतु कार्यरत रहे। इस तरह से उन्होंने अल्लाह के द्वारा प्राप्त धार्मिक संदेशों को जन-जन तक पंहुचाने का कार्य किया। सन् 622 में वह मक्का से मदीना हेतु हिजरत पलायन किया। यहीं से मुस्लिम काल हिजरी सन की शुरूआत हुई। इस तरह से पैगम्बर साहब ने इस्लाम धर्म की शुरूआत अपने अनुयायियों मानने वालों के माध्यम से भी उन्होंने कई युद्ध भी लड़कर जीते। इस तरह से उन्होंने अपने अनुयायियों को इस्लाम धर्मसूत्र से जोड़ते हुए एक शक्तिशाली राजनैतिक संगठन के रूप में भी स्थापित कर दिया था। जिससे कि वह अपने विरोधियों से आसानी से मुकाबला करते रहें।

इस्लाम को मानने वाले मुसलमान होते हैं

मुसलमान कौन हैं? मुसलमान होने हेतु इस्लाम के पांच सिद्धान्तों का पालन करने व मानने वाले मुसलमान होते हैं। जो निम्नलिखित हैं-

अ. तौहीद का पालन करना: मुसलमान का अर्थ होता है मुस्सलम ईमान शब्द से बना है अर्थात् अल्लाह के कलमा लाइलाहा इल्लाह मोहम्मदुर्र रसूल्लाह में पूर्ण विश्वास अर्थात् अल्लाह एक है तथा पैगम्बर मोहम्मद उनके रसूल (दूत) हैं।

आ. नमाज: प्रत्येक मुसलमान को पांच वक्त की नमाज पढ़ना फर्ज है।

इ. जकात (दान): प्रत्येक मुसलमान अपनी आय का कुछ हिस्सा जकात (दान) करें।

ई. रोजा: रमजान के पवित्र मास में रोजे रखना।

उ. हज: एक मुसलमान जो व्यय वहन कर सकते हैं वह जीवन में एक हज (मदीना की यात्रा) कर इबादत जरूर करें।

मुस्लिम विधि के प्रयोजन हेतु

न्यायालयों के विभिन्न निर्णयों के माध्यम से अभिनिर्धारित किया गया कि मुसलमान होने हेतु उन पांचों आधार स्तंभों को मानने के बजाय केवल तौहीद का पालन ही आवश्यक माना है। इस्लाम अरबी शब्द है इसका अर्थ है ईश्वर में प्रतिपूर्ण रूप से समर्पण या समर्पित रहना।

इस्लामिक (मुस्लिम) विधि का उद्गम एवं उद्भव

मुस्लिम विधि उद्भव "अलकुरान" या कुरान से ही हुआ है। जिसके अनुसार अल्लाह की सत्ता को आदिकाल से माना गया है। पैगम्बर साहब के कथनानुसार कुरान फरिश्ते जिब्राईल के माध्यम से विभिन्न समयों विभिन्न भागों में प्रकट हुआ है। इसकी अंतर्वस्तु को अल्लाह का कलाम या कलामे इलाही कहा जाता है। धर्म व अध्यात्म के साथ इसमें विधि शास्त्र का भी समावेश है जो कि शरीयत का मुख्य आधार है।

विधि को स्पष्ट करने हेतु मुस्लिम विधिवेत्ता पैगम्बर साहब की पूर्व की परम्पराओं का उल्लेख न करते हुए उनके सुन्ना व आचरण अर्थात् आचार व आचरण तथा हदीस के रूप में उनके उपदेश दोनों को शामिल किया गया है।

पैगम्बर साहब की मृत्यु के पश्चात् ऐसा कोई मसला जिसका कुरान में स्पष्ट उल्लेख न किया गया हो तो सुन्ना व हदीस के माध्यम से उसका हल/निराकरण किया जाता था किन्तु जब सुन्ना व हदीस से भी हल न निकले तो उस काल के मुस्लिम विधि शास्त्रियों के मतैक्य के आधार पर हल/विनिश्चय इजमा एवं क्यास का सहारा लिया जाता है। विवेक व तर्कों के माध्यम से निश्चित नियमों के आधार पर विनिश्चय किये जाते हैं। जो शरीयत के मुख्य आधार में से एक है। शरीयत का सामान्यतः अर्थ है अनुसरणीय मार्ग अर्थात् इसका अनुसरण करना पालनीय किन्तु आधुनिक रूप में यह कानून नहीं होता है।

यह कर्तव्य पालन सिद्धान्त पर आधारित है। शरीयत के मुताबिक मुख्य रूप से पांच प्रकार के धार्मिक आदेश हैं।

फर्ज- जो कि मुसलमानों पर फर्ज है।

हराम- जिससे मुसलमानों को वर्जित किया गया है।

मन्दूब- जिसके पालनार्थ मुसलमानों को सलाह दी गई है।

मुकरूह- जिन्हें न करने हेतु बताया गया है।

जायज- जिसके प्रति उदासीनता बरती जाये।

फिक्ह शब्द का अर्थ है कि प्रज्ञा यानी बुद्धि फेजी के अनुसार। मुसलमानों को अधिकारों व कर्तव्यों की जानकारी।

तदउपरांत मुस्लिम विधि का विकास सम्पन्न हुआ है।

1- कुरान में आदेशों का काल।
2- सुन्ना का काल।
3- कुरान का सैद्धान्तिक अध्ययन व संग्रह।
4- इजितहाद व तकलीद का काल अर्थात् इस काल में सुन्नी वर्ग की चारों शाखाओं की स्थापना हुई जो कि 1924 तक जारी रहा।
5- 1924 के पश्चात् आधुनिक काल।

निष्कर्ष

उक्त शोध से निष्कर्ष निकलता है चाहे अरब समाज में पैगम्बर साहब के पूर्व का काल हो या पैगम्बर साहब के अरब समाज का काल हो। दोनों ही कालों में अनन्त काल से अल्लाह की सर्वोच्च सत्ता को स्वीकार किया गया। पैगम्बर मोहम्मद साहब के अरब पूर्व समाज में कबीलों के रूप में अपने-अपने नियम, कायदे होते थे। उन्हें ही कानून के रूप में मान्यता प्रदान थी किन्तु उसमें परम्परा पर आधारित होकर कुरीतियों का भी प्रचलन होकर मान्य किया जाता था। जिससे स्त्री, बच्चों के अधिकार सीमित होकर तथा कई सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक राजनैतिक प्रतिबंध लागू थे किन्तु पैगम्बर मोहम्मद साहब रसूल (दूत) समाज सुधारक के रूप में स्थापित हुए। अतः उन्होंने कई कुरीतियॉ अनैतिक परम्पराओं का खात्मा किया तथा इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार किया। मुस्लिम विधि का उद्गम एवं उद्भव अरब की सरजमीं से होकर अलकुरान पर आधारित है। जब कुरान मुकम्मल रूप में अल्लाह के कलाम के रूप में आसमान से जमीन पर उतर आया तब इसे मुस्लिम विधि के रूप में मान्य किया जाने लगा इसके अलावा मुस्लिम विधि के उद्गम में कुरान के अतिरिक्त पारम्परिक स्त्रोत, सुन्ना सुन्नत, हदीस, इजमा, क्यास का महत्वपूर्ण योगदान है जिसके आधार पर ही वर्तमान मुस्लिम विधि आधारित है।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. अलकुरान
2. हदीस
3. मुस्लिम लॉ खुरशीद अहमद नकवी
4. अकील अहमद मुस्लिम विधि
5. आउट लाइन ऑफ मुहम्मडन लॉ: फैजी

6. मुहम्मडन लॉ मुल्ला
7. मुस्लिम विधि, आर.के. सिन्हा
8. पारस दीवान, मुस्लिम लॉ डायजेस्ट
9. पत्र पत्रिकायें, वेबसाइट सोशल मीडिया